लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2172

जिसका उत्तर बुधवार, 02 अगस्त, 2023 को दिया जाएगा

तुअर दाल का आयात

2172. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार दाल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए 12 लाख टन तुअर दाल का आयात करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश भर में तुअर दाल लगभग 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा रही है;
(घ) क्या सरकार ने बफर स्टॉक से 50,000 टन तुअर दाल बाजार में उतारी है; और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और
(ड.) क्या सरकार ने व्यापारियों, मिल मालिकों और आयातकों पर इसके स्टॉक संबंधी सीमा लगा दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): वर्ष 2022-23 में तूर का घरेलू उत्पादन 34.30 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 में यह 42.20 एलएमटी था। इसलिए, घरेलू मांग को पूरा करने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए लगभग 12 लाख टन का आयात इष्टतम माना गया है। सरकार ने तूर के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए 'मुक्त' श्रेणी के तहत तूर के लिए आयात नीति को 31.03.2024 तक बढ़ा दिया है और तूर पर 10% का आयात शुल्क हटा दिया है।

(ग) और (घ): 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों द्वारा रिपोर्ट की गई दैनिक खुदरा कीमतों के अनुसार, दिनांक 27.07.2023 को गैर-ब्रांडेड तूर दाल की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमतें 135.20 रुपये प्रति किलोग्राम है।

सरकार ने 26.06 2023 को राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को उपभोक्ताओं के लिए अरहर दाल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मिलर्स को ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसफ) बफर से तूर दाल का निपटान करने का निर्देश दिया है। निपटान के लिए 50 000 मीट्रिक टन का अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 4,236.59 मीट्रिक टन का निपटान किया जा चुका है।

(ड.): जमाखोरी को रोकने के लिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 2 जून, 2023 को 31 अक्टूबर, 2023 तक की अवधि के लिए तूर और उड़द दाल पर स्टॉक सीमा लगा दी गई है। प्रत्येक दाल के लिए लागू स्टॉक सीमा इस प्रकार है: थोक विक्रेताओं के लिए लागू स्टॉक सीमा 200 मीट्रिक टन; खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन, प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो पर 200 मीट्रिक टन; मिल मालिकों के लिए उत्पादन के अंतिम 3 माह या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25%, जो भी अधिक हो। आयातकों के संबंध में, आयातकों को सीमा शुल्क निकासी की तारीख से 30 दिनों से अधिक आयातित स्टॉक नहीं रखना है।

******